न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : राजस्व वाद संख्या/49/2014

1. मेवाराम पुत्र रामनाथ जाति बलाई निवासी बलाईयो की ढाणी, ग्राम बगरूकलां अजमेर रोड तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. ग्यारसी लाल पुत्र रामनाथ जाति बलाई निवासी ग्राम राजाधिराजपुरा उर्फ चिमनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
2. सेडूराम पुत्र रामनाथ जाति बलाई निवासी बलाईयो की ढाणी ग्राम बगरू कलां अजमेर रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
3. बाबूलाल पुत्र छीतर जाति बलाई निवासी बलाईयो की ढाणी ग्राम बगरू कलां अजमेर रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
4. गीता पुत्री छीतर जाति बलाई निवासी बलाईयो की ढाणी ग्राम बगरू कलां अजमेर रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
6. मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि0 जरिये संयोजक गौरी शंकर मीणा पुत्र श्री छीतरमल मीणा निवासी ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय

दावा बाबत् विभान एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक: 05.04.2023

वादी की ओर से दावा इस आशय के साथ पेश किया गया कि ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2066 से 2069 के खाता संख्या 856 में अंकित खसरा नंबरान् 1145 रकबा 0.07 है0, 1146 रकबा 0.33 है0, 1156 रकबा 0.51 है, 1279 रकबा 0.25 है0, 1292 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर के रेकॉर्डेड खातेदार काश्तकार ग्यारसीलाल, मेवाराम, सेडूराम पि0 रामनाथ हिस्सा 3/4, बाबूलाल पुत्र छीतर हिस्सा 11/60, गीता पुत्री छीतर हिस्सा 1/15 जाति बलाई साकिन देह है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की अविभाजित भूमि है। वादी खसरा नंबर 1145 के उत्तर–पूर्व पर अपना कच्चा घर 20गुणा 24 फुट

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

पर टीनशेड डाल कर वर्ष 1991 से मय परिवार निवास करता है तथा पानी का एक होद बना रखा है। वादी ने अपने मकान में वर्ष 2000 से विधुत कनेक्शन ले रखा है व अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 वादी को उसके कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि से बेदखल कर अनाधिकृत कब्जा करने पर आमाद फिसाद है दिनांक 28.05.2014 को प्रतिवादीगण एक राय होकर वादी के मकान पर आये व वादी के कब्जे की भूमि पर अनाधिकृत रूप से ट्रेक्टर से प्लाउ चला कर बेदखल करने पर आमादा हो गये व वादी के मकान व होद आदि को तोडने की धमकी दी व कहा कि तुम खसरा नंबर 1145 जो नेशनल हाईवे संख्या 8 से लगता हुआ है से अपना मकान होद आदि को हटालों, हम इस पर भू–खण्ड काट कर आबादी बसायेगें। वादी ने काफी समझाया कि वादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन करवा ले किन्तु उन्होनें सहमति के आधार पर विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया। अब वादी का संयुक्त रूप से वादग्रस्त भूमि पर काश्त करना कठिन हो गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रत्येक सहकाश्तकार को अपने हिस्से की अविभाजित भूमि का विधिक विभाजन करवाने का व् अलग से खाता कायम करवाने का वैधानिक अधिकार है। वादी को अपने हिस्से की भूमि को सुरक्षित रखने व अनाधिकृत कब्जे को रोकने के लिये विपक्षीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित करवाने का भी वैधानिक अधिकार है कि वे वादी के पृथक कब्जे, हिस्से व खातेदारी की भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न स्वयं करें न अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, परिवारजन आदि से करवायें।

अन्त में प्रार्थना की गई है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित खसरा नंबरान् 1145, 1146, 1156, 1279 व 1292 कुल किता 5 कुल रकबा 1.25 हैक्टेयर में प्रत्येक काश्तकार को अपने हिस्से पर आने जाने का रास्ता हिस्से अनुसार कौमन रखा जाकर वादी के हिस्से 1/4 का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित किया जावे कि विभाजन के पश्चात वादी की तन्हा हिस्से, खाते व कब्जे काश्त की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त तथा उसके उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, बाधा न स्वयं करें न अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट व परिवारजन आदि से करावें।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

वकील वादी ने वाद के समर्थन में दस्तावेजात सूची के साथ नकल सत्यापित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत् 2066–69, नकल सत्यापित प्रतिलिपि नक्शा ट्रेस की पेश की जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। वाद में प्रार्थी मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 ज़ाप्ता दीवानी पेश किया गया। अप्रार्थी/वादी के जवाब व उभयपक्ष की बहस उपरांत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को वाद में पक्षकार बनाया गया। प्रार्थी/वादी की ओर से वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 एवं सपिठत धारा 151 बाबत् विड्रा किये जाने खसरा नंबर 1279 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1292 रकबा 0.09 हैक्टेयर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर वाद में से खसरा नंबर 1279 व 1292 को विड्रा की अनुमति प्रदान की गई व संशोधित वाद हेतु वादी को निर्देशित किया गया।

वादी द्वारा संशोधित वाद पेश कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम बगरू कलां, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1145, 1146, 1156 कुल किता 3 कुल रकबा 0.91 हैक्टेयर में प्रत्येक काश्तकार को अपने हिस्से पर आने जाने का रास्ता हिस्से अनुसार कौमन रखा जाकर वादी के हिस्से 1/4 का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर वादी का खाता व लगान अलग से कायम किया

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से संशोधित जवाब दावा पेश किया गया जिसमें अंकित है कि वादी स्वरूप हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष नही आया है। इसलिए वह किसी तरह की कोई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कतई भी अधिकारी नही है। वादी को कोई वाद कारण मिन प्रतिवादीगण के विरूद्व कभी भी उत्पन्न नही हुआ है। मौके पर कब्जा वादी एवं मिन प्रतिवादीगण का संयुक्त व शामलाती अर्सा कदीमी से चला आ रहा है। वादी के एकल स्वामित्व की कोई भूमि मौके पर कभी ना तो रही है ना ही है। इसलिए वादी द्वारा दिनांक 28.05.2014 को तकासमा बाबत् कहने व मिन प्रतिवादीगण द्वारा तकासमा से मना करने का प्रश्न ही नही उठता है। जबकि मिन प्रतिवादीगण स्वयं भी उक्त संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा कराना चाहते है। ऐसी सूरत में बिना वाद कारण के वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी के प्रावधानो से बाधित होने के कारण

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

पोषणीय नही है। मदवार जवाब में अंकित है कि मिन प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की भूमि से वादी को बेदखल करने पर आमादा है। जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि उक्त भूमि मिन प्रतिवादीगण व वादी की संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि है जिसका मिन प्रतिवादीगण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा कराने के कानूनन अधिकारी है। वादी ने उक्त मद में तमाम तथ्य मिथ्या एवं बेबुनियाद अंकित किए है जिनका कि वास्तविकता व सत्यता से कोई भी संबंध व सरोकार नही है। इसलिए वादी का वाद पोषणीय नही है और सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद मय हर्जा विशेष खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

विचारधीन वाद में उभयपक्ष ने कलर नक्शा पेश कर मुताबिक नक्शा वाद में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया। वादी द्वारा दावे के साथ प्रस्तुत जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी का विधिक तकासमा नही हुआ है। इसलिए वाद में तकासमा किसा जाना उचित समझते है। चूंकि वाद में संशोधित वाद पेश किया जा चुका है इसलिए संशोधित वाद अनुसार तकासमा किया जाता है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस प्रकार प्राथमिक डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 1145 रकबा 0.0700 हैक्टेयर, 1146 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1156 रकबा 0.5100 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.9100 हैक्टेयर वाकै ग्राम बगरूकलां पटवार हल्का बगरूकलां ए एण्ड बी भू0अ0नि0 क्षेत्र बगरूकलां तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित का विधि सम्मत मुताबिक उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत विभाजन नक्शा अनुसार उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तकासमा कर अलग–अलग खाता व लगान कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तीन प्रतियों में तैयार कर न्यायालय में भिजवायें।

न्यायालय आदेश की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2409 दिनांक 20.03.2023 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई जो निम्नानुसार है :–

खाता नंबर	खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

313	ग्यारसीलाल पुत्र रामनाथ हि0 1/4 गीता पुत्री छीतर हि0 1/15 बाबूलाल पुत्र छीतर हि0 11/60 सेडूराम पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/4 मेवाराम पुत्र रामनाथ हि0 1/4 जाति बलाई सा0देह	1145 1146 1156 1279 1292	0.0700 0.3300 0.5100 0.2500 0.0900	चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही ए चाही ए जाव ए	
	कुल रकबा	5	1.2500		

विभाजन प्रस्ताव :–

पक्षकार संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	लगान
1	मेवाराम पुत्र रामनाथ हिस्सा सम्पूर्ण जाति बलाई सा0देह	1145 मि0 1146 मि0 1146 मि0 1146 मि0 1156 मि0 1156 मि0	0.0100 0.0170 0.0275 0.0280 0.0720 0.0290	चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही 1	
	योग	06	0.1835		
2	ग्यारसीलाल पुत्र रामनाथ हिस्सा सम्पूर्ण जाति बलाई सा0देह	1145 मि0 1146 मि0 1146 मि0 1146 मि0 1156 मि0 1156 मि0	0.0125 0.0145 0.0275 0.0280 0.0720 0.0290	चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही 1	
	योग	06	0.1835		
3	गीता पुत्री छीतर हि0 1/2 बाबूलाल पुत्र छीतर हि0 1/2 जाति बलाई सा0देह	1145 मि0 1146 मि0 1146 मि0 1146 मि0 1156 मि0 1156 मि0	0.0170 0.0100 0.0275 0.0280 0.0720 0.0290	चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही 1	
	योग	06	0.1835		
4	सेडूराम पुत्र रामनाथ हिस्सा सम्पूर्ण जाति बलाई सा0देह	1145 मि0 1146 मि0 1146 मि0 1146 मि0	0.0165 0.0105 0.0275 0.0280	चाही 1 चाही 1 चाही 1 चाही 1	

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

		1156 मि0	0.0720	चाही 1	
		1156 मि0	0.0290	चाही 1	
	योग	06	0.1835		
5	ग्यारसीलाल पुत्र रामनाथ हि0 1/4 गीता पुत्री छीतर हि0 1/15 बाबूलाल पुत्र छीतर 11/60 मेवाराम पुत्र रामनाथ हि0 1/4 सेडूराम पुत्र रामनाथ हि0 1/4 जाति बलाई सा0देह	1145 मि0	0.0140	चाही 1	
		1146 मि0	0.0560	चाही 1	
		1156 मि0	0.1060	चाही 1	
		1179 मि0	0.2500	चाही 1	
		1292	0.0900	चाही 1	
	योग	06	0.5160		

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वाद में अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया। बहस वकील उभयपक्ष सुनी जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट का मय पत्रावली अवलोकन किया गया।

अतः तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की अन्तिम डिक्री जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत **सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय)** मुकाम **जयपुर** ब इजलास **श्री विष्णु कुमार गोयल–I (आर.ए.एस.)**

मेवाराम

बनाम

ग्यारसीलाल वगै.

दावा बाबत् विभान एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नम्बर – दावा/49/2014

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विष्णु कुमार गोयल–I व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट स्वीकार कर वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादी व प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल–दरामद करें। कुर्रेजात रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। इस आशय की डिक्री जारी की जाती है।

निज ....ℓ......... मुबलिग ....ℓ......... बाबत् ....ℓ......... फीसदी .... खर्चा इस मुकद्दमें में मय सूद बशरह ....ℓ......... का सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ℓ......... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.04.2023 को जारी की गई।

मुहर [seal: सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय]

दस्तखत ....सहायक कलक्टर (signed)

ओहदा ....जयपुर शहर द्वितीय

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान		00			

(signed)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय